न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 273/2014
08/2016

अंजू देवी बनाम राज्य

– :: आदेश :: –

22.7.18 प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी अंजू देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या – 42/2014–15, दिनांक 22.05.2015 में पारित चयनमुक्ति संबंधी आदेश ज्ञापांक – 1585–1 दिनांक 04.12.2014 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 273/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या – 42/2014–15 में पारित चयनमुक्ति आदेश ज्ञापांक – 1585–1/आई.सी.डी.एस. दिनांक 04.12.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी अंजू देवी द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि इनका चयन सेविका पद हेतु वर्ष 2013 में आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या – 101 मुसहरी टोला वार्ड संख्या – 01, ग्राम पंचायत–आरापट्टी, परियोजना–महिषी हेतु विधिवत रूप से विभागीय दिशा निर्देशानुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का अवलोकन/सत्यापन करते हुए नियमानुकूल किया गया। ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सही व सुचारू रूप से केन्द्र का संचालन करती आ रही थी। अपीलार्थी का आगे कहना है कि यह वर्ष 2002 में द्वितीय श्रेणी से मध्यमा उत्तीर्ण थी। आवेदन में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन दी थी तथा मेघा अंक के अनुसार सही पाकर विधिवत रूप से चयन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं की गई, परन्तु विपक्षी द्वारा गलत रूप से आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय से नोटिस भेजा गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली है, इसलिए दिनांक 20.08.2014 के उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया गया। तदुपरांत मैं निश्चित तिथि को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण सहित पक्ष व सभी मूल प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपीलार्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यता का जाँच कराये बगैर चयनमुक्ति का ओदश पारित कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा वाद दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागज़ातों का अवलोकन किया। चूँकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस., सहरसा के पत्रांक – 637–1/आई.सी.डी.एस. दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पत्रांक – 654 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार पत्रांक – 69 स. दिनांक 29.01.14 उनके कार्यालय से निर्गत है जो सही है तथा पत्रांक – 185 दिनांक 07.03.14 बोर्ड कार्यालय से निर्गत नहीं है जो बिल्कुल फर्जी एवं जाली है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.7.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.7.18

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1117-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 27-07-2017

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

27.07.017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।